भारत में डेयरी सहकारिता

– डॉ. जगदीप सक्सेना

हाल में भारत सरकार द्वारा एक अलग सहकारिता मंत्रालय के गठन से डेयरी सहकारिता को बल और गति प्राप्त हुई है। साथ ही, डेयरी सहकारिता को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिक, पर्यावरण अनुकूल, लागत प्रभावी तथा सतत् बनाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। डेयरी के प्रचालन से जुड़ी विभिन्न प्रक्रियाओं में एआई (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) और आईटी तकनीकों के उपयोग की शुरुआत की गई है। सहकारी समिति/संघ अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से सदस्यों से बेहतर संपर्क व संवाद स्थापित कर सुविधाओं को वास्तविक समय में उन तक पहुँचा रहे हैं। इससे सहकारी समितियों की कार्यकुशलता बढ़ी है। डेयरी में पानी के कुशल उपयोग और पुर्नउपयोग की विधियां लागू की जा रही हैं। अक्षय स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन के लिए गोबर गैस प्लांट के साथ सौर ऊर्जा के उपयोग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

दूध उत्पादन में भारत विश्व का सिरमौर है। लगभग 210 मिलियन टन के वार्षिक उत्पादन के साथ विश्व के दूध उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी लगभग 23 प्रतिशत है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अकेले डेयरी सेक्टर का योगदान पांच प्रतिशत आंका गया है। देश के लगभग आठ करोड़ परिवारों की आजीविका के स्रोत के रूप में डेयरी देश की अग्रणी आर्थिक गतिविधियों में से एक है। विश्व में दूध उत्पादन में वृद्धि की दर मात्र दो प्रतिशत है, जबकि भारत में यह छह प्रतिशत के रिकॉर्ड स्तर पर है। आज विश्व में भारतीय डेयरी उद्योग का परचम शान से लहरा रहा है और इसे भविष्य की 'वैश्विक डेयरी' के रूप में भी देखा जा रहा है। इन उपलब्धियों तक पहुँचने में भारतीय डेयरी ने एक लंबा और संघर्ष भरा रास्ता तय किया है।

आज़ादी के समय और उसके बाद लगभग दो दशकों तक दूध उत्पादन 17 से 20 मिलियन टन के बीच बना रहा। वर्ष 1950 के दशक में दूध उत्पादन में वृद्धि की दर 1.64 प्रतिशत थी, जो 1960 के दशक में घटकर मात्र 1.15 प्रतिशत रह गई। वर्ष 1950–51 में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता या खपत 124 ग्राम थी, जो 1970 में घटकर मात्र 107 ग्राम रह गई। दूध उत्पादन और खपत के संदर्भ में भारत की गिनती सबसे पिछड़े देशों में की जाती थी। दूध की कमी को पूरा करने के लिए दूध का आयात किया जाता था। यह एक निराशाजनक स्थिति थी, क्योंकि भारत में डेयरी पशुओं की संख्या विश्व में सर्वाधिक थी। आज भारत इस स्थिति से उबरकर डेयरी का विश्व गुरू बनने की राह पर है। वर्ष 2020–21 में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता बढ़कर 427 ग्राम हो गई है, जो वैश्विक औसत से अधिक है।

इस क्रांतिकारी बदलाव के पीछे एक दूरदर्शी सोच, कारगर रणनीति, नीतिगत प्रोत्साहन और सभी संबंधितों का अथक परिश्रम रहा है। परंतु यदि सबसे बड़े और प्रभावी हस्तक्षेप को पहचानने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से डेयरी सहकारिता का नाम सबसे ऊपर आता है। भारत में डेयरी सहकारिता का विकास सामाजिक–आर्थिक नज़रिये से एक मील का पत्थर है, जिसने डेयरी उद्योग की पुरानी परिपाटी को बदलकर एक नई और उज्ज्वल राह दिखाई है। भारत की विश्व प्रसिद्ध 'श्वेतक्रांति' को साकार करने में भी डेयरी सहकारिता ने एक अहम् और प्रभावी भूमिका निभायी है।

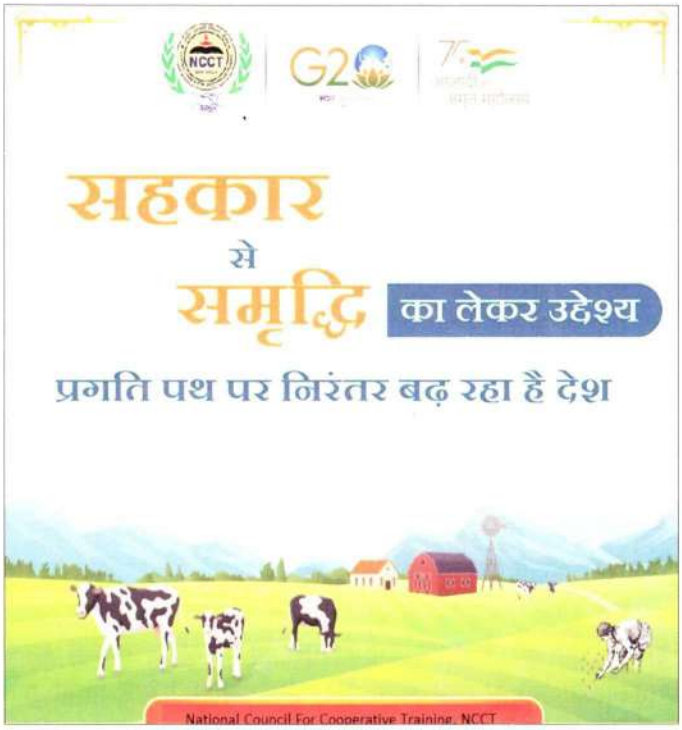

लेखक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में प्रधान संपादक रह चुके हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।
ई–मेल : jagdeepsaxena@yahoo.com

- *भारत में डेयरी सहकारिता संपूर्ण विश्व में सबसे अनूठी है और गरीब देशों के लिए यह एक उत्तम व्यावसायिक मॉडल है।*
- *डेयरी सहकारी संगठन देश के दो लाख से अधिक गाँवों में लगभग दो करोड़ किसानों से प्रतिदिन दो बार दूध संग्रह करते हैं।*
- *उपभोक्ताओं से प्राप्त मूल्य का लगभग 70 प्रतिशत डेयरी किसानों को प्राप्त होता है।*
- *डेयरी सहकारिता में महिला सदस्यों की संख्या एक तिहाई से अधिक है।*

– प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी
(स्रोतः इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन भाषण, 12 सितंबर, 2022)

उदय और अवधारणा

आज़ादी के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने भारत के दूध उत्पादन व्यवसाय को केवल व्यावसायियों के हित के नज़रिये से देखा और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए नीतियां बनाईं। सरकारी नीतियों में बिचौलियों को भी प्रश्रय दिया गया। इसका लाभ उठाकर पेस्टन जी एडुल जी ने 1915 में मुंबई में 'पोलसन' ब्रांड के डेयरी उत्पादों की शृंखला शुरू की और 1930 में इसके लिए आणंद (तत्कालीन खैरा) में एक विशाल डेयरी की स्थापना भी की। इसके माध्यम से स्थानीय डेयरी किसानों के आर्थिक शोषण का दौर शुरू हो गया, क्योंकि किसानों के पास पोलसन डेयरी को दूध बेचने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं था। इससे किसानों के बीच असंतोष के स्वर उभरने लगे।

सरकार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में खैरा के डेयरी किसानों ने संगठित होकर वर्ष 1946 में अपने सहकारी संगठन की शुरुआत करने का निर्णय लिया। सहकारिता के नेता और प्रणेता त्रिभुवन दास पटेल ने 'अमूल' (आणंद मिल्क यूनियन लिमिटेड) की नींव रखी। राष्ट्र के स्तर पर यह एक छोटा कदम था, परंतु इसने देश भर में सहकारिता की अवधारणा के प्रसार का काम किया। 'अमूल' का प्रदर्शन संतोषजनक था, परंतु इसके संचालन में व्यावसायिक या कहें पेशेवर अंदाज़ की कमी थी। इसलिए डेयरी किसानों को उतना लाभ नहीं मिल रहा था, जितना अपेक्षित था।

वर्ष 1949 में 'अमूल' में डॉ. वर्गीज़ कुरियन नाम के तकनीकी रूप से दक्ष एक नौजवान को लाया गया। उद्देश्य था 'अमूल' को व्यावसायिक रूप से सफल बनाना, इसे एक ब्रांड के रूप में विकसित करना और इससे जुड़े दूध उत्पादकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। आज हम देखते हैं कि डॉ. कुरियन ने न केवल इन उद्देश्यों को शानदार ढंग से पूरा किया बल्कि देश में डेयरी सहकारिता की मज़बूत नींव भी रखी, इसका प्रसार किया और 'ऑपरेशन फ्लड के माध्यम से देश को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर भी बनाया। इसीलिए डॉ. कुरियन को 'श्वेत क्रांति' के जनक के रूप में याद किया जाता है।

सहकारिता का मूलमंत्र है– सभी सदस्यों यानी डेयरी किसानों का आपसी सहयोग, समन्वय और संचालन में छोटे–बड़े के भेदभाव के बिना समान भागीदारी। डॉ. कुरियन ने इन मूलमंत्रों के साथ व्यावसायिकता का समावेश करके डेयरी सहकारिता का एक अत्यंत सफल मॉडल लागू किया, जो आणंद पैटर्न या आणंद मॉडल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वर्तमान में देशभर में इसी मॉडल को अपनाया जा रहा है। यह एक समेकित सहकारी संरचना है, जो दूध का संग्रह, प्रसंस्करण और उत्पादों की बिक्री स्वयं करती है। कुशल व्यावसायिक विशेषज्ञों की सलाह से डेयरी उत्पादक अपनी व्यावसायिक नीतियां स्वयं बनाते हैं और उत्पादन व मार्केटिंग के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हैं। उन्हें वे सभी सेवाएं और सुविधाएं सहजता से उपलब्ध होती हैं, जिनका खर्च वे व्यक्तिगत रूप से वहन नहीं कर सकते।

इस प्रक्रिया के दौरान निर्मित सभी बुनियादी संरचनाओं पर डेयरी किसानों का अधिकार होता है। यह एक त्रि–स्तरीय संरचना या प्रणाली है। बुनियादी स्तर पर गाँव में एक डेयरी सहकारी समिति यानी डीसीएस गठित की जाती है। इसका सदस्य बनने के लिए डेयरी उत्पादक को समिति का एक शेयर खरीदना पड़ता है और गारंटी देनी पड़ती है कि वह दूध की बिक्री केवल समिति को ही करेगा। समिति द्वारा गाँव में एक संग्रह केंद्र स्थापित किया जाता है, जहां सभी उत्पादक एक निश्चित समय पर आकर केंद्र संचालक को दूध सौंप देते हैं। दूध की जांच कर उसमें उपस्थित वसा और एसएनएफ के आधार पर पूर्व निर्धारित मूल्य के अनुसार उत्पादक को भुगतान कर दिया जाता है।

वित्तीय वर्ष के अंत में डीसीएस द्वारा अर्जित कुल लाभ को सदस्यों के बीच बोनस के रूप में आनुपातिक आधार (दूध की कुल बिक्री मात्रा) पर बाँट दिया जाता है। संग्रह केंद्र पर बड़े दूध शीतलन पात्र (चिलर्स) लगाए जाते हैं, ताकि संग्रहित दूध खराब ना हो। दूसरे स्तर पर, ज़िलों में ज़िला सहकारी दूध उत्पादक संघ गठित किए जाते हैं, जिनमें गाँव स्तर की समितियां सदस्य होती हैं। संघ द्वारा समितियों का समस्त दूध खरीद लिया जाता है और

फिर इसे समय (मौसम) और स्थान की मांग के अनुसार या तो दूध के रूप में या इसके प्रसंस्करित उत्पाद बनाकर बेचा जाता है। अधिकांश संघों द्वारा गाँव की समितियों को गुणवत्तापूर्ण आदान (इनपुट्स) और सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं, जैसे आहार या चारा, पशु के स्वास्थ्य की देखभाल, टीकाकरण और कृत्रिम गर्भाधान (एआई) सेवा। इसका उद्देश्य दूध के उत्पादन और गुणवत्ता को सतत् बनाए रखना है। संघ के कुशल कर्मियों द्वारा समितियों के कर्मियों को संबंधित प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। तीसरे स्तर पर ज़िले में सभी संघ संगठित होकर राज्य–स्तरीय महासंघ का गठन करते हैं। ज़िलों से प्राप्त दूध और दूध उत्पादों की बिक्री की ज़िम्मेदारी इसी महासंघ की होती है। कुछ राज्य महासंघ विशिष्ट डेयरी आदानों जैसे पशु आहार व पशु शेड के सामानों आदि का उत्पादन करके उचित कीमत पर ज़िला संघों को उपलब्ध कराते हैं। कुछ राज्य महासंघों और ज़िला संघों द्वारा डेयरी किसानों के कल्याण की योजनाएं भी चलायी जाती हैं।

बढ़ते कदम

डेयरी सहकारिता का 'आणंद पैटर्न' अपनी आश्चर्यजनक सफलता के कारण जल्दी ही देश भर में प्रसिद्ध और चर्चित हो गया। वर्ष 1964 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री 'अमूल' का भ्रमण करने आये और इसकी कार्यप्रणाली व व्यापक उपलब्धियों से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने डॉ. कुरियन से देश भर में 'आणंद पैटर्न' पर सहकारी डेयरी संगठन गठित करने का अनुरोध किया ताकि देश दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर और अग्रणी बन सके। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने अगले वर्ष 1965 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (एनडीडीबी) की स्थापना की और इसका पहला अध्यक्ष डॉ. कुरियन को बनाया गया।

उन्होंने 'ऑपरेशन फ्लड' के नाम से एक कार्ययोजना तैयार की, जिसके केन्द्र में डेयरी सहकारी समितियां थीं। भारत सरकार के अन्य विभागों, संगठनों, संस्थानों आदि के सहयोग और समर्थन से इस कार्ययोजना को 1970 में लागू किया गया। विशेषज्ञों की सलाह व निर्देश तथा डेयरी किसानों के सहयोग से गाँवों में सहकारी डेयरी समितियों के गठन और संचालन का कार्य ज़ोर–शोर से चल निकला। ऑपरेशन फ्लड के दूसरे चरण (1981–85) के दौरान 43,000 गाँवों में डेयरी सहकारी समितियों का गठन हुआ। तीसरे चरण (1985–86) के दौरान डेयरी सेक्टर के बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने का कार्य किया गया और डेयरी सहकारी समितियों की संख्या बढ़कर 73,000 तक पहुँच गई। ऑपरेशन फ्लड से पूर्व 1968–69 में दूध उत्पादन 21.2 मिलियन टन था, जो 1989–90 में बढ़कर 51.4 मिलियन टन हो गया। भारत न केवल दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ, बल्कि कुछ देशों को दूध निर्यात भी करने लगा। देश की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को 'श्वेत क्रांति' का नाम दिया गया।

'ऑपरेशन फ्लड' के अंतर्गत एक 'नेशनल मिल्क ग्रिड' बनाकर दूध की अन्तरराज्यीय आपूर्ति की जाने लगी, जिससे देश भर में उचित कीमत पर दूध की उपलब्धता सुनिश्चित हुई। दूध के व्यापार में बिचौलियों का अंत हो गया। इससे दूध की कीमत के मौसमी उतार–चढ़ाव पर भी नियंत्रण पाया गया, जो कई बार कृत्रिम होता था। इस तरह सामान्य उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर बेहतर क्वालिटी का दूध और दूध उत्पादन मिलने लगे। दूध की खपत और माँग तेज़ी से बढ़ने लगी, जिससे देश पोषण सुरक्षा की ओर अग्रसर हुआ। डेयरी सहकारी समितियों की व्यावसायिक सफलता से यह निश्चित हो गया कि डेयरी किसान, दूध उत्पाद से लेकर संग्रह और वितरण व बिक्री तक की पूरी प्रक्रिया को स्वयं संचालित करके बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। इससे डेयरी/पशुपालन एक पूर्णकालिक स्वरोज़गार के रूप में स्थापित हुआ, विशेषकर ग्रामीण युवाओं में दूध व्यवसाय के प्रति दिलचस्पी बढ़ने लगी।

सहकारिता में भागीदारी के समान अवसर मिलने के कारण केवल 2–3 पशुओं वाले छोटे एवं सीमांत किसान भी सहकारी समितियों के सदस्य बन गए। 'बूंद–बूंद से घट भरे' की कहावत को चरितार्थ करते हुए आज देश के कुल दूध उत्पादन में छोटे किसानों के योगदान को सराहा जा रहा है। भारतीय डेयरी उद्योग की पहचान चुनिंदा स्थानों पर विशाल उत्पादन से नही, बल्कि छोटी–छोटी मात्रा में पशुपालकों के विशाल समूह द्वारा उत्पादन से है। इसे भारतीय डेयरी उद्योग की विशिष्टता माना जाता है और इससे सतत् उत्पादन को एक मजबूत आधार भी मिलता है। भूमिहीन मज़दूर भी एक–दो पशु के साथ दूध उत्पादन कर रहे हैं। डेयरी सहकारिता में महिलाएं अहम् और महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहीं हैं। भारतीय डेयरी के कार्यबल में 70 प्रतिशत महिलाएं हैं और डेयरी सहकारी समितियों में एक–तिहाई से अधिक महिलाएं हैं। इसलिए डेयरी सहकारिता को ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक–आर्थिक सशक्तीकरण और महिला सशक्तीकरण का एक प्रभावी माध्यम माना जा रहा है। हाल के वर्षों में महिला सहकारी डेयरी समितियां भी अस्तित्व में आईं हैं।

सहकारिता का मूलमंत्र

सहकारिता का मूलमंत्र है सभी सदस्यों यानी डेयरी किसानों का आपसी सहयोग, समन्वय और संचालन में छोटे–बड़े के भेदभाव के बिना समान भागीदारी। डॉ. कुरियन ने इन मूलमंत्रों के साथ व्यावसायिकता का समावेश करके डेयरी सहकारिता का एक अत्यंत सफल मॉडल लागू किया, जो आनंद पैटर्न या आणंद मॉडल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वर्तमान में देशभर में इसी मॉडल को अपनाया जा रहा है। यह एक समेकित सहकारी संरचना है, जो दूध का संग्रह, प्रसंस्करण और उत्पादों की बिक्री स्वयं करती है।

डेयरी सहकारिता ने डेयरी किसानों और पशुपालकों को एक मंच पर संगठित करके उन्हें मोल–भाव करने की बेहतर शक्ति प्रदान की है। चारा/पशु आहार की खरीद हो या डेयरी उपकरणों की या फिर चिकित्सा सेवाएं, डेयरी सहकारी समितियों को ये सभी प्रतियोगी कीमतों पर प्राप्त हो रहीं हैं, जिससे उनका लाभ बढ़ रहा है। भारत सरकार ने डेयरी सहकारिताओं के हित में एआई और टीकाकरण सुविधाएं सदस्यों के घरों तक पहुँचाई हैं। गोपशुओं के आनुवांशिक सुधार द्वारा भी पशु उत्पादकता बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं। डेयरी सहकारिताओं को बुनियादी सुविधाओं के विकास और निर्माण के लिए सरकार की ओर से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप वर्ष 2017 में 16.3 मिलियन डेयरी किसान (कुल डेयरी किसानों के लगभग 20 प्रतिशत), जिसमें 48 प्रतिशत महिलाएं थीं, देश की लगभग 1,88,000 डेयरी सहकारी समितियों से संबद्ध थे। ये समितियां हर रोज़ औसतन 42.8 मिलियन लीटर दूध संग्रह करती थीं और 33.1 मिलियन लीटर दूध बेच देती थीं। इनकी दूध प्रसंस्करण की कुल क्षमता 66 मिलियन लीटर प्रतिदिन थी। उल्लेखनीय है कि दूध के अलावा अन्य डेयरी उत्पादों का उत्पादन और बिक्री भी डेयरी सहकारिता की व्यावसायिक सफलता का एक महत्वपूर्ण सूत्र है। इसलिए राज्य स्तर पर डेयरी सहकारी संगठन बड़े पैमाने पर घी, पनीर, चीज़, दही, मलाई, श्रीखंड आदि का उत्पादन और बिक्री कर रहे हैं। कुछ डेयरी सहकारिताओं ने नवीन उत्पाद जैसे हल्दी दूध, अदरक दूध, फ्लेवर्ड दूध, भांति–भांति के योगर्ट, आर्गेनिक घी आदि का उत्पादन व बिक्री भी शुरू की है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पहले से मज़बूत हुई है।

डेयरी सहकारिताओं द्वारा दूध और डेयरी उत्पादों के निर्यात की पहल भी की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुल दूध उत्पादन का लगभग 52 प्रतिशत भाग बाज़ार में बेचा जाता है, जबकि शेष का उपयोग घरेलू स्तर पर कर लिया जाता है। बाज़ार योग्य दूध का लगभग आधा भाग डेयरी सहकारी समितियों और निजी कंपनियों द्वारा बिक्री के लिए संग्रह किया जाता है, जबकि आधा भाग असंगठित क्षेत्र द्वारा बाज़ार में पहुँचता है (आर्थिक सर्वेक्षण, 2018–19)। इसलिए जहां एक ओर डेयरी सहकारी समितियों के कार्यकलापों में प्रसार की आवश्यकता है वहीं दूसरी ओर, अधिक से अधिक डेयरी किसानों को डेयरी सहकारी समितियों से जोड़ना भी आवश्यक है।

प्रोत्साहन और प्रावधान

ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी सहकारिता द्वारा सामाजिक–आर्थिक उत्थान की संभावनाओं को देखते हुए भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा डेयरी सहकारिता के प्रसार और सशक्तीकरण के लिए ऑपरेशन फ्लड के समय से ही योजनाएं व कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। बहुत पीछे ना जाएं तो राष्ट्रीय डेयरी योजना (मार्च, 2012 से नवंबर, 2019, प्रथम चरण) के अंतर्गत 18 प्रमुख डेयरी राज्यों में डेयरी सहकारिताओं के माध्यम से ग्रामीण दूध उत्पादकों को सीधे बाज़ार से जोड़ने का प्रयास किया गया, और इसके लिए गाँव के स्तर पर दूध की खरीद/संग्रह की सुविधाएं विकसित की गईं। लगभग 16.8 लाख अतिरिक्त दूध उत्पादकों को पंजीकृत किया गया, जिसमें 7.65 लाख महिलाएं थीं। लगभग 97,000 गाँवों में 59 लाख लाभार्थियों ने इन सुविधाओं का लाभ उठाया।

गुजरात के विशेष संदर्भ में देखा गया कि इस योजना के अंतर्गत जनजाति वर्ग के दूध उत्पादकों को डेयरी से संबंद्ध विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षित भी किया गया। विश्व बैंक की सहायता से इस योजना का दूसरा चरण अप्रैल, 2023 से लागू किया जाना संभावित है। इस चरण में उन राज्यों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां अभी भी डेयरी सहकारिता के विकास की संभावनाएं मौजूद हैं, जैसे उत्तर–पूर्व राज्य, उड़ीसा, झारखंड आदि। प्रथम चरण के 2,242 करोड़ रुपये के प्रावधान के मुकाबले इसका कुल बजट लगभग 15,000 करोड़ रुपये होने की संभावना है।

डेयरी की संभावना वाले कुल 3,20,000 गाँवों में से लगभग दो लाख गाँव प्रथम चरण में लाभान्वित हो चुके हैं। इस बार 1.20 लाख गाँवों में डेयरी सहकारिता के गठन और प्रसार का लक्ष्य है। दूसरे चरण में बुनियादी सुविधाओं के निर्माण और प्रसार का प्रावधान नहीं किया गया है, क्योंकि भारत सरकार ने इसके लिए अलग से डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का गठन किया हैं। इसके अंतर्गत 'नाबार्ड' द्वारा बाज़ार से ऋण लिया जाता है, जिसे योग्य डेयरी सहकारिताओं को 2.5 प्रतिशत ब्याज अनुदान के साथ वितरित किया जाता है। इस आर्थिक सहायता का उद्देश्य देश भर की डेयरी सहकारिताओं को प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन के लिए तकनीकी रूप से सक्षम और आधुनिक बनाना है। राज्य–स्तरीय डेयरी सहकारिताओं और डेयरी में संलग्न किसान उत्पादक संगठनों को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने के लिए एक अन्य योजना के अंतर्गत ब्याज अनुदान की व्यवस्था भी की गई है। यह व्यवस्था मुख्य रूप से कोविड–19 के दौरान डेयरी सहकारी समितियों को आर्थिक संकट से उबारने के लिए की गई थी, परंतु अब इसे प्राकृतिक आपदाओं के लिए भी लागू कर दिया गया है।

राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के बी–घटक के अंतर्गत उत्तर प्रदेश और बिहार के आर्थिक रूप से पिछड़े, परंतु डेयरी की बेहतर संभावना वाले ज़िलों में 'डेयरी सहकारिता–सतत् आजीविका का स्रोत' नामक एक नई योजना लागू की गई है। इसे 2021–22 से 2025–26 तक के लिए लागू किया गया है, और इसका 2027–28 तक विस्तार भी किया जा सकता है। इसके अंतर्गत डेयरी की सहकारी संस्थाओं को बाज़ार से जोड़ने, बुनियादी सुविधाओं के विकास और डेयरी उत्पादकों की क्षमता विकास का कार्य किया जा रहा है। इसके मुख्य घटक इस प्रकार हैं– दूध संग्रह की बुनियादी सुविधाओं का सशक्तीकरण; दूध प्रसंस्करण सुविधाओं और दूध

उत्पादों के निर्माण व पशु आहार के निर्माण की सुविधाओं का विकास; बाज़ार संबंधी बुनियादी सुविधाओं का विकास; आईसीटी सुविधाओं का सशक्तीकरण; उत्पादकता में वृद्धि; और प्रशिक्षण व क्षमता विकास। इन विभिन्न घटकों के लिए ऋण और अनुदान की समेकित व्यवस्था है।

वर्ष 2021 में भारत सरकार ने 'डेयरी सहकार योजना' नाम से एक अन्य कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य डेयरी सहकारिताओं को आर्थिक सहायता के माध्यम से विभिन्न सहकारी पहलुओं में सशक्त करना है। इसके अंतर्गत योग्य डेयरी सहकारी समितियों को इन घटकों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी–गौवंश का विकास; दूध का संग्रह, प्रसंस्करण और गुणवत्ता नियंत्रण; दूध और दूध उत्पादों का भंडारण व परिवहन; मूल्यवर्धन, पैकेजिंग, ब्रैंडिंग और मार्केटिंग; तथा दूध उत्पादों का निर्यात।

भारत सरकार की डेयरी उद्यमिता विकास योजना के अंतर्गत भी डेयरी सहकारिताओं को पूंजीगत आर्थिक अनुदान और सस्ता ऋण देने की व्यवस्था की गई है। वस्तुतः डेयरी सेक्टर के विकास की सभी योजनाओं व कार्यक्रमों में डेयरी सहकारिता को प्रमुख स्थान दिया जा रहा है, क्योंकि इसे किसानों की आमदनी दुगुनी करने के लक्ष्य में भी सहायक माना गया है। हाल में भारत सरकार द्वारा एक अलग सहकारिता मंत्रालय के गठन से भी डेयरी सहकारिता को बल और गति प्राप्त हुई है। साथ ही डेयरी सहकारिता को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिक, पर्यावरण अनुकूल, लागत प्रभावी तथा सतत् बनाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। डेयरी के प्रचालन से जुड़ी विभिन्न प्रक्रियाओं में एआई (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) और आईटी तकनीकों के उपयोग की शुरुआत की गई है। सहकारी समिति/संघ अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से सदस्यों से बेहतर संपर्क व संवाद स्थापित कर सुविधाओं को वास्तविक समय में उन तक पहुँचा रहे हैं। इससे सहकारी समितियों की कार्यकुशलता बढ़ी है। डेयरी में पानी के कुशल उपयोग और पुर्नउपयोग की विधियां भी लागू की जा रही हैं। अक्षय स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन के लिए गोबर गैस प्लांट के साथ सौर ऊर्जा के उपयोग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। स्वच्छता के मानकों को लागू करके स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण दूध उत्पादन की तकनीकों को अपनाया जा रहा है, ताकि उपभोक्ताओं को दूध की उत्तम गुणवत्ता के प्रति आश्वस्त किया जा सके। लक्ष्य यह है कि डेयरी सहकारी संगठनों के डेयरी उत्पाद बाज़ार में निजी क्षेत्र की डेयरी कंपनियों को उत्पादों को गुणवत्ता व कीमतों के स्तर पर कड़ी चुनौती दे सकें।

इन उपायों से देश के आम उपभोक्ता भी लाभान्वित हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें कीमतों के मौसमी उतार–चढ़ाव के बिना गुणवत्तापूर्ण दूध और अन्य डेयरी उत्पाद बाज़ार में उपलब्ध हो रहे हैं।

भविष्य की ओर

भारत में डेयरी सेक्टर और डेयरी सहकारिता एक–दूसरे के समानांतर और पूरक रूप से प्रगति की ओर अग्रसर हैं। हमारे देश में सहकारिता और निजी क्षेत्र एक–दूसरे के समन्वय और समर्थन से आगे बढ़ रहे हैं, जो निश्चित रूप से सराहनीय है। वर्तमान में भारतीय डेयरी उद्योग/व्यवसाय का मूल्य 13 ट्रिलियन रुपये आंका गया है, जिसका अगले पांच वर्ष में दुगुना होने की संभावना बतायी गई है। वर्ष 2027 तक यह 30 ट्रिलियन रुपये हो सकती है। डेयरी सेक्टर में विकास की औसत दर 15 प्रतिशत आंकी गई है, जबकि इसके कुछ विशिष्ट उत्पादों, जैसे आर्गेनिक दूध, चीज़, फ्लेवर्ड दूध, लस्सी, योगर्ट आदि में 20 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है। आशा है निकट भविष्य में ये उत्पाद डेयरी के विकास में अहम् भूमिका निभाएंगे।

जहां तक दूध उत्पादन का संदर्भ है, भारत द्वारा अगले 25 वर्ष में दूध उत्पादन का आंकड़ा 628 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुँच जाएगा और तब वैश्विक दूध उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर 45 प्रतिशत तक पहुँच जाने का अनुमान है जिससे अगले 25 वर्ष में भारत में दूध उत्पादन का कुल मूल्य 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच जाएगा, जो अभी 110 बिलियन डॉलर के आस–पास है। उत्पादन की इस ऊंचाई तक पहुँचने पर भारत के पास 110 मिलियन मीट्रिक टन दूध निर्यात के लिए उपलब्ध होगा, जिससे प्राप्त होने वाली संभावित विदेशी मुद्रा भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान साबित होगी। साथ ही, देश के डेयरी किसानों/दूध उत्पादकों की आर्थिक स्थिति में भी अहम् सुधार अपेक्षित है।

वर्ष 2024 तक देश के गाँवों में दो लाख नई डेयरी सहकारी समितियों के गठन की भी संभावना है। भारत सरकार द्वारा पशुधन उत्पादकता बढ़ाने के लिए भी गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि हमारी दूध उत्पादन प्रणाली कुशल बन सके और हम प्रति इकाई संसाधनों से अधिकतम उत्पादन और लाभ प्राप्त कर सकें। पशु स्वास्थ्य में सुधार के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक 100 प्रतिशत गोपशुओं को खुरपका–मुंहपका रोग और ब्रुसेलोसिस के विरुद्ध टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रयास यह है कि इस दशक के अंत तक हमारा देश इन रोगों के प्रकोप से पूरी तरह मुक्त हो जाए।

हाल में हमारे वैज्ञानिकों ने घातक लम्पी स्किन डिसीज़ के विरुद्ध बेहद कम समय में स्वदेशी टीका तैयर करने का कीर्तिमान बनाया है। कृत्रिम गर्भाधान के प्रसार, पशुओं के आनुवांशिक सुधार और देशी नस्लों के प्रोत्साहन द्वारा भी डेयरी उत्पादन को नई गति और ऊर्जा दी जा रही है। साथ ही, भारतीय डेयरी उद्योग अब खाद्य सुरक्षा के अंतरराष्ट्रीय मानकों के प्रति भी पहले से अधिक सचेत और सतर्क है। स्वच्छता के सभी मानकों के कड़ाई से पालन के प्रयास किए जा रहे हैं। दूध और डेयरी उत्पादों की स्थानीय बाज़ार तथा अंतराष्ट्रीय बाज़ारों में बढ़ती मांग के कारण भारत में डेयरी सहकारीता एक उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर है। डेयरी किसानों का सामाजिक–आर्थिक उद्धार इसी में निहित है। ❑